

## प्रेसनोट दिनांक 22.09.2021

1. दिनांक 21.09.21 को वादी श्री रविन्द्र कुमार मिश्र पुत्र सुभाष मिश्र नि० मरुई सहाय सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 32 जेयू 1330 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई के उपर गाडी चढा देना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 613/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 21.09.21 को वादी उ०नि० श्री रामप्रकाश मिश्र थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ओम प्रकाश पुत्र संतरी नि० जयसिंपुर थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अपमिश्रित शराब व 1 किग्रा यूरिया 100 ग्राम नौसादर बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 475/21 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 21.09.21 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्यम पाण्डेय पुत्र संतकुमार पाण्डेय नि० खुशहालगंज थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 312/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 21.09.21 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश यादव उर्फ गुड्डू पुत्र भदई यादव नि० खेतासराय थाना टिकैतनगर बाराबंकी गिर० अभि० के कब्जे से 149 ग्राम भूरे रंग का नशीला पाउडर बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 407/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 21.09.21 को वादी का० गजेन्द्र सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पन्नालाल पुत्र रामसजन नि० जलालपुर माफी थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 492/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 21.09.21 को वादी उ०नि० श्री संतोष कुमार मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हिमान्शू उर्फ रमन पुत्र स्व० कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव नि० शिवनाथपुर थाना कुमारगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 271/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 21.09.21 को वादी उ०नि० श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आशीष कुमार पुत्र राजेश कुमार नि० जरायल कला थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 210/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।